## :: <u>न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)</u> ::

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | : | श्री राजेश कुमार मीना, आर.जे.एस. |
| दीवानी वाद संख्या | : | 27 / 2007 |
| सी.आई.एस.नं0 | : | 40 / 2014 |

मूर्ति श्री नरसिंह भगवान विराजमान मन्दिर नरसिंह जी ग्राम गोल्याखेड़ी, तहसील खानपुर, शाश्वत नाबालिग जरिये संरक्षक श्री नरसिंह भगवान सेवा समिति ग्राम गोल्याखेड़ी, तहसील खानपुर जरिये पदाधिकारी–

01. मन्नालाल पुत्र रामचन्द्र, जाति मेहर,
02. चन्द्रसेन पुत्र भैरूलाल, जाति राठी,
03. घनश्याम पुत्र प्रभूलाल, जाति मीना,
04. बाबूलाल पुत्र नन्दलाल, जाति माली,
05. ओमप्रकाश पुत्र नाथूलाल, जाति खाती,

निवासीगण गोल्याखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)

——————वादीगण

बनाम

01. गोपालदास पुत्र भोलूदास, बैरागी, निवासी गोल्याखेड़ी, तहसील खानपुर **मृतक कायम मुकामान–**

1/1 घनश्याम पुत्र गोपालदास आयु 58 वर्ष निवासी गोल्याखेड़ी

1/2 सत्यनारायण पुत्र गोपालदास आयु 47 वर्ष निवासी गोल्याखेड़ी

1/3 कृष्ण मुरारी पुत्र गोपालदास आयु 40 वर्ष निवासी गोल्याखेड़ी

1/4 जगदीश प्रसाद पुत्र गोपालदास निवासी गोल्याखेड़ी **मृतक कायम मुकामान**

1/4/1 श्रीमती गीता बाई विधवा पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी गोल्याखेड़ी

1/4/2 लक्ष्मीचंद पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 35 वर्ष निवासी गोल्याखेड़ी

1/4/3 सागरमल पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 25 वर्ष निवासी गोल्याखेड़ी

1/4/4 महेश कुमार (दीपक कुमार) पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 22 वर्ष निवासी गोल्याखेड़ी

1/4/5 श्रीमती रोसन बाई पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी चन्द्रप्रकाश बैरागी, निवासी ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां।

1/4/6 श्रीमती लीला बाई पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी विजय कुमार बैरागी, निवासी कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां।

1/4/7 मीना पुत्री जगदीश प्रसाद, आयु 21 वर्ष, निवासी गोल्याखेड़ी

1/5 गीता बाई पुत्री गोपालदास, आयु 55 वर्ष, जाति बेरागी, निवासी कलमोदिया, तहसील छीपाबड़ोद।

1/6 भरोसी बाई पुत्री गोपालदास, आयु 52 वर्ष, जाति बेरागी, निवासी असनावर, तहसील असनावर।

1/7 कोशल्या बाई पुत्री गोपालदास, पत्नी हनुमान वेष्णव, आयु 50 वर्ष, निवासी झालावाड़।

02. ग्राम पंचायत पिपलाज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)

——————प्रतिवादीगण

**<u>वाद बाबत् निरस्त किये जाने पट्टा ग्राम पंचायत पिपलाज दिनांक 18.03.1990 बहक गोपाल दास बैरागी</u>**

उपस्थित :–

1– श्री इन्द्रलाल गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2– श्री ओंकारेश्वरम् शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

## निर्णय

दिनांक–12.12.2017

वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् निरस्त किये जाने पट्टा ग्राम पंचायत पिपलाज दिनांक 18.03.1990 बहक गोपाल दास बैरागी निम्न आशय का पेश किया गया कि ग्राम गोल्याखेड़ी तहसील खानपुर में एक मन्दिर नरसिंह भगवान का बना हुआ है जिसमें नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है। उक्त मन्दिर सार्वजनिक है। उक्त मन्दिर की सम्पत्ति में एक कच्चा मकान कवेलूपोश भी स्थित है जिसके उत्तर में मकान बाबूलाल माली, दक्षिण में मकान मोतीलाल माली, पूर्व में मकान देवलाल गुर्जर कंवर जी का चबूतरा व पश्चिम में आम रास्ता स्थित है। उक्त मकान की लम्बाई पूर्व से पश्चिम 35 फुट, उत्तर से दक्षिण 28 फुट है जिसका सदर दरवाजा पश्चिम दिशा में है। मकान में 4 कमरे बने हुए थे जिनमें मन्दिर का पुजारी रहता था तथा भगवान के भोग प्रसाद की सामग्री बनाता था। मकान कच्चा कवेलूपोश था, कुछ हिस्सा जीर्ण–शीर्ण होकर गिर गया है तथा एक कमरा रहने योग्य है। उक्त सब मन्दिर मूर्ति नरसिंह भगवान की मिल्कियत सम्पत्ति है। दिनांक 05.05.1999 से पूर्व प्रतिवादी गोपालदास मन्दिर की सेवा पूजा करता था परन्तु वह ठीक प्रकार सेवा पूजा नहीं करता था। इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें होने पर तत्कालीन तहसीलदार साहब खानपुर एवं थानेदार जी खानपुर ने ग्रामवासियों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्रतिवादी गोपालदास भी उपस्थित था। उक्त मीटिंग में गोपालदास ने जाहिर किया कि वह काफी वृद्ध हो चुका है, सेवा पूजा करने में असमर्थ है अतः ग्रामवासियान की सहमति से श्री नरसिंह सेवा समिति ग्राम गोल्याखेड़ी का गठन किया गया और उसी समय प्रतिवादी गोपालदास ने मन्दिर एवं मकान भोगमंडी की चाबियां समिति को स्वेच्छा से सौंप दी। उसके बाद से समिति ही मन्दिर की सेवा पूजा हेतु पुजारी नियुक्त करती है और मन्दिर की व्यवस्था सेवा पूजा करती है तथा मन्दिर की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करती है और वादीगण ही मूर्ति की तरफ से काबिज हैं। प्रतिवादी गोपालदास ने वाद की मद नं0 1 में वर्णित मकान को अपनी स्वयं की मिल्कियत बताकर अपने नाम दिनांक 18.03.1990 को ग्राम पंचायत पिपलाज से अवैध रूप से पट्टा बनवा लिया, जिसका पट्टा नम्बर 8 है। उक्त पट्टा निम्न आधारों पर अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है–(अ) पट्टा जारी किया गया स्थान ग्राम पंचायत की सम्पत्ति नहीं था और न ही वह गोपालदास प्रतिवादी की सम्पत्ति था, प्राईवेट नागरिकों की एवं मन्दिर की सम्पत्ति का पट्टा देने का कानूनन पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। (ब) पट्टा जारी करते समय

राजस्थान पंचायत अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना नहीं की गई, कोई आपत्तियां नहीं मांगी गई न कोई उद्घोषणा जारी की गई। वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और चुपचाप पट्टा जारी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में वादीगण ने ग्राम पंचायत से पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी तो उन्होंने इसके सम्बन्ध में कोई पत्रावली नहीं होना जाहिर किया, इससे स्पष्ट है कि चुपचाप गलत तरीके से प्रतिवादी ने पंचायत से मिलकर पट्टा अपने नाम बनवा लिया, कोई प्रमाणित प्रतिलिपि वादी को नहीं दी गई। (स) पट्टे में यह लिखा हुआ है कि 501/– में उक्त मकान की भूमि का विक्रय गोपालदास को किया गया जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर था। (द) उक्त वाद की मद नं0 1 में वर्णित परिसर पर कब्जा हमेशा से मूर्ति नरसिंह भगवान का रहा है, पुजारी मूर्ति नरसिंह भगवान का नौकर होता है और मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। उसकी सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति को मालिकाना अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। (य) इसी मकान का पट्टा बनवाने बाबत् पुनः दिनांक 25.09.2000 को गोपालदास ने ग्राम पंचायत पिपलाज में प्रार्थना पत्र पेश किया था। वादीगण ने उक्त पट्टे के सम्बन्ध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ के न्यायालय में दिनांक 08.10.2001 को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र हस्ब धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 16.01.2009 को हो गया और वह खारिज हो गया। उक्त निर्णय के बाद वादीगण ने अपने अभिभाषक से एक रजिस्टर्ड नोटिस हस्ब धारा 109 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रतिवादी क्रम 2 को एवं प्रतिवादी क्रम 1 को दिनांक 30.04.07 को दो माह की अवधि का दिलाया जो प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.05.2007 को ग्राम पंचायत प्रतिवादी क्रम 2 को तथा 04.05.2007 को प्रतिवादी क्रम 1 को प्राप्त हो गया। उक्त नोटिस में पट्टा निरस्त करने बाबत् लिखा गया था परन्तु दोनों प्रतिवादीगण ने कोई जवाब नोटिस नहीं दिया और न प्रतिवादी क्रम 2 ने पट्टा निरस्त किया। अतः नोटिस की मियाद समाप्त होने पर 11.07.2007 तक पट्टा निरस्त न करने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ। वाद उचित कोर्ट फीस पर, अवधि मध्य, न्यायालय के श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार का होना बताते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा ग्राम पंचायत पिपलाज द्वारा जारी पट्टा नं0 8 दिनांक 18.03.1990 निरस्त किये जाने की घोषणा की जाने की कृपा करें तथा वाद की मद नं0 1 सम्पत्ति मन्दिर मूर्ति नरसिंह जी विराजमान गोल्याखेड़ी ग्राम की है, गोपालदास प्रतिवादी की निजी सम्पत्ति नहीं है, इस बाबत् घोषणा की जाने की कृपा करें। वाद व्यय तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

वादीगण के वादपत्र पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। जिस पर प्रतिवादी नं0 1 ने वादपत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि वाद

की मद नं0 1 में ग्राम गोल्याखेड़ी में नरसिंह भगवान का मन्दिर होना स्वीकार है किन्तु मन्दिर सार्वजनिक होना गलत है। इस बिन्दु पर न्यायालय आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर ने भी अपना न्यायिक विनिश्चय दिया है जिसके अनुसार सर्वजन के द्वारा पूजा करने के कारण ही कोई मन्दिर सार्वजनिक नहीं हो जाता। मद में वर्णित माप व चतुरसीमा वाले मकान को मन्दिर की सम्पत्ति होना अस्वीकार किया व मकान प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास का निजी होना बताया व कथन किया कि इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मय आदेशात्मक व्यादेश का एक सिविल वाद 22/01 पेश कर रखा है जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है। मकान का मन्दिर की सम्पत्ति होने के तथ्य को अस्वीकार किया। मद नं0 2 को अस्वीकार कर कथन किया कि गोपालदास मन्दिर की सेवा पूजा करता था व करता आ रहा है। कोई श्री नरसिंह सेवा समिति ग्राम गोल्याखेड़ी का अस्तित्व नहीं है। मद नं0 3 में वर्णित प्रतिवादी गोपालदास ने मकान का पट्टा अवैध रूप से बनावाये जाने के तथ्य को अस्वीकार किया व कथन किया कि पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। मद नं0 3 की उपमदों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि मकान प्रतिवादी नं0 1 की निजी सम्पत्ति है जिसका पट्टा पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है मकान प्रतिवादी नं0 1 के कब्जे में है। मद नं0 3(य) अपूर्ण वर्णित की गई है। वादीगण क्या स्पष्ट करना चाहते हैं यह उनको बताया चाहिए था। प्रतिवादी नं0 1 के बड़े पुत्र की मृत्यु होने तथा मकान का पट्टा नहीं मिलने की स्थिति में पट्टा बनाने का आवेदन किया गया था। उस समय पंचायत ने वादीगण जो स्वयं को किसी समिति का पदाधिकारी बताकर आये हैं की आपत्ति व इनके ही कुछ अन्य व्यक्तियों की आपत्ति पर यह जांच करी थी कि मकान गोपालदास प्रतिवादी का है या नहीं। फिर दिनांक 20.03.01 को पंचायत ने यह निर्णय दिया था कि मकान प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास का निजी है। इस बाबत् कोई अपील या निगरानी किसी भी न्यायालय में वादीगण ने पेश नहीं की है। इसलिए वाद की यह मद अधूरी वर्णित होने से अस्वीकार है। पट्टे की निगरानी कलेक्टर न्यायालय में पेश होना तथा उसका खारिज होना स्वीकार है। कलेक्टर के आदेश की कोई अपील या निगरानी अथवा रिट पेश होने की सूचना प्रतिवादी नं0 1 को नहीं मिली है। इस प्रकार न्यायालय कलेक्टर झालावाड़ का निर्णय 16.01.07 अन्तिम हो गया है। मद नं0 4 को अस्वीकार किया। मद नं0 5 को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा मकान के एक कमरे से सम्बन्धियात सिविल वाद नं0 22/01 इसी न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें एक कमरे की बाजार दर 10,000/– का मूल्यांकन पर कोर्ट फीस पेश की गई है। उस वाद के 6 साल बाद वादीगण सम्पूर्ण मकान का मूल्यांकन 10,000/– कर रहे हैं। वाद उचित कोर्ट फीस पेश नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। मद नं0 6 को अस्वीकार कर वादीगण

का वाद अवधि बाहर होने व क्षेत्राधिकार–श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज होने योग्य बताया व चाहे गए अनुतोष को भी अस्वीकार किया।

विशेष कथनों में कथन किया कि प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास अपने पूर्वजों के समय से मन्दिर श्री नृसिंह जी व श्री जी विराजमान ग्राम गोल्याखेड़ी का पुजारी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान लोक न्याय अधिनियम 1959 के तहत् एक ट्रस्ट देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है जिसका नाम पंजीयन अनुसार ''ट्रस्ट नृसिह जी व श्री जी ग्राम गोलयाखेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़'' है। प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास ट्रस्ट में मुख्य प्रन्यासी दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादीगण को मन्दिर के नाम से कोई वाद लाने या मन्दिर के नाम से कोई कार्यवाही करने का विधिक हक नहीं है। वादीगण समिति या उसके पदाधिकारियों को लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से वाद लाने का अधिकार नहीं है। वादीगण बनकर आये व स्वयं को पदाधिकारी बताने वाले व्यक्तियों को समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत् पंजीकृत नहीं होने से वाद लाने या विधिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। वाद लाया भी जाता है तो आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होंगे, इसलिए भी यह वाद चलने योग्य नहीं है। धारा 92 सी.पी.सी. के प्रावधान इस मामले में लागू होते हैं क्योंकि एक पंजीकृत ट्रस्ट की मौजूदगी है। इसलिए वाद धारा 92 सी.पी.सी. के प्रावधानों के खिलाफ होने से चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 के मकान की चतुरसीमा वाद के मद नं0 1 में वर्णित की गई है, के दक्षिण–पश्चिम कमरे पर जगदीश पुत्र भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी सारोला ने अन्य व्यक्तियों की सहायत से प्रतिवादी नं0 1 की अनुपस्थिति में दिनांक 20.06.01 को कब्जा कर लिया था। प्रतिवादी नं0 1 ने इस सम्बन्ध में इस न्यायालय में एक वाद नं0 22/01 पेश किया जिसमें अपने मकान का पट्टा पेश किया था जिसकी सत्यप्रति लेकर वादीगण ने न्यायालय जिला कलेक्टरी झालावाड़ में निगरानी नं0 133/01 पेश की थी जिसमें निर्णय दिनांक 16.01.07 को हो गया है और निगरानी खारिज कर पट्टा सही माना गया है। प्रतिवादी नं0 1 के वाद में न्यायालय द्वारा तनकी स्थापित कर पट्टे के फर्जी होने की स्थिति का विचारण भी किया जा चुका है। अब इसी बिन्दु पर न्यायालय द्वारा पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। इसलिये वादीगण का वाद धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार स्थगित किया जाना चाहिए तथा वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी नं0 133/01 जिला कलेक्टर झालावाड़ के न्यायालय के निर्णय आने और उसकी कोई अपील/निगरानी या रिट याचिका पेश नहीं होने से निर्णय अंतिम हो गया है। वाद अवधि बाहर होने व वादग्रस्त पट्टे पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय देने और उस निर्णय के अन्तिम होने के कारण धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार वाद खारिज होने योग्य है। वाद उचित कोर्ट फीस पर पेश नहीं किया गया

है व वादग्रस्त सम्पत्ति की प्रचलित बाजार दर 50,000 / — से अधिक होने से इस न्यायालय को श्रवणाधिकारी व क्षेत्राधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा बताई गई उनकी समिति का कोई अस्तित्व नहीं है एवं समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत् पंजीकृत भी नहीं है। सोसायटी एक्ट के प्रावधान अनुसार इसके ना तो समय पर चुनाव हो रहे हैं और कोई बैंक एकाउण्ट भी नहीं है। समिति बताने वाले कुछ व्यक्ति ही हैं जो भी मंदिर की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर उससे प्राप्त आय को हड़पने में लगे हैं। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद नं0 22 / 01 में लेकुना फिलअप करने के लिए यह वाद पेश किया गया है तथा विचारण की एक नई पारी आरम्भ करने की नीयत से वाद पेश किया गया है। वादीगण विधिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन कर मौजूदा वाद चलाना चाहते हैं। प्रतिवादी नं0 1 को बेजा परेशान करने की नीयत से यह वाद पेश किया गया है इसलिए प्रतिवादी नं0 1 विशेष हर्जा 5,000 / — वादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद सिविल विधि व राजस्थान ट्रस्ट अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ होने से चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी नं0 2 की ओर से जवाब पेश करते हुए वादपत्र की अधिकांश मदों का ज्ञान नहीं होना बताया व वादपत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.03.1990 को कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया और न ही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच द्वारा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया। दिनांक 25.09.2000 को ग्राम पंचायत पिपलाज में गोपालदास द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। वर्णित प्लॉट का मूल्य 1,00,000 / — है। वादपत्र श्रवणीय एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है। वादपत्र झूंठा एवं प्रतिवादी को परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। वाद कानून के विरूद्ध है। ग्राम पंचायत में पूर्व का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि तत्कालीन सरपंच ने ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। अतः दावा खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः—

1— आया वादपत्र के पैरा नं0 1 में वर्णित सार्वजनिक मंदिर की सम्पत्ति मंदिर मूर्ति नरसिंह भगवान की मिल्कीयत की सम्पत्ति है

—————वादीगण

2– आया प्रतिवादी गोपालदास ने स्वेच्छापूर्वक मंदिर एवं मकान भोगमण्डी की चाबियां समिति को सौंपी तथा वर्तमान में वादीगण मूर्ति की तरफ से काबिज हैं?

——————वादीगण

3– आया प्रतिवादी गोपालदास द्वारा वादपत्र के पैरा नं0 1 में वर्णित मकान को स्वयं की मिल्कीयत का बताकर अपने नाम दिनांक 18–03–1990 को ग्राम पंचायत पीपलाज से अवैध पट्टा, पट्टा सं0 8 बनवा लिया जो अवैध व निरस्त होने योग्य है?

——————वादीगण

4– आया वादी को वादकारण दिनांक 11–07–2007 को उत्पन्न हुआ?

——————वादीगण

5– आया वादपत्र के पैरा नं0 1 में वर्णित मंदिर सार्वजनिक नहीं है तथा मंदिर की सम्पत्ति न होकर प्रतिवादी गोपालदास की निजी है?

——————प्रतिवादीगण

6– आया वादी का वाद उचित कोर्ट फीस पेश नहीं होने से चलने योग्य नहीं है?

——————प्रतिवादीगण

7– आया वादी का वाद मियाद बाहर होने से व श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज होने योग्य है?

——————प्रतिवादीगण

8– आया वादीगण समिति या उसके पदाधिकारियों को **Locus standi** नहीं होने से वाद लाने का अधिकार नहीं है?

——————प्रतिवादीगण

9– आया वादी का दावा धारा 92 के प्रावधानों के खिलाफ होने से चलने योग्य नहीं है?

——————प्रतिवादीगण

10– आया वादी का दावा आदेश 1 नियम 8 सी0पी0सी0 के तहत् पेश नहीं किए जाने से चलने योग्य नहीं है?

——————प्रतिवादीगण

11– आया वादग्रस्त पट्टे के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय देने और निर्णय के अन्तिम होने से धारा 11 सी.पी.सी. के अनुसार खारिज होने योग्य है?

——————प्रतिवादीगण

12— आया प्रतिवादी सं0 1 वादीगण से 5,000/— विशेष हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है?

——————प्रतिवादीगण

13— अनुतोष?

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पी0ड0 1 मन्नालाल, पी0ड0 2 परमानन्द, पी0ड0 3 कन्हैयालाल, पी0ड0 4 बाबूलाल के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध करवाए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नोटिस ग्राम पंचायत दिनांक 30.04.07 प्रदर्श–1, ए.डी. रसीद प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, नकल निर्णय जिला कलक्टर झालावाड़ दिनांक 16.01.07 प्रदर्श–4, नकल पट्टा प्रदर्श–5, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6 व प्रार्थना पत्र गोपालदास दिनांक 25.09.2000 प्रदर्श–7 प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादीगण की ओर से डी0ड0 1 घनश्यामदास का मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध करवाए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय खानपुर के स्टे आदेश दिनांक 20.04.02 की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–1, जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी मेमो की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–2, निगरानी में पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–3, सिविल वाद में न्यायालय खानपुर द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 09.02.09 की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–4, डिक्री की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–5, न्यायालय खानपुर के वाद सं0 22/01 की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–6, जवाब वादपत्र की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–7, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित नकल प्रदर्श ए–8 व उसके पिता के नाम जारी पट्टे की नकल प्रदर्श–5 को प्रदर्शित कराया गया।

बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकीवार हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:–

तनकी संख्या 11 धारा 11 सी.पी.सी. से सम्बन्धित होकर उक्त वाद की न्यायालय को सुनवाई बाबत् अधिकारिता है या नहीं इससे सम्बन्धित है। अतः तनकी को प्रारम्भिक तनकी मानते हुए उसका पहले निस्तारण किया जा रहा है।

**<u>तनकी संख्या 11</u> :–**

आया वादग्रस्त पट्टे के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय देने और निर्णय के अन्तिम होने से धारा 11 सी.पी.सी. के अनुसार खारिज होने योग्य है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि ग्राम गोल्याखेड़ी तहसील खानपुर में एक मन्दिर नरसिंह भगवान का बना हुआ है जिसमें नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है। उक्त मन्दिर सार्वजनिक है। उक्त मन्दिर की सम्पत्ति में एक कच्चा मकान कवेलूपोश भी स्थित है जिसके उत्तर में मकान बाबूलाल माली, दक्षिण में मकान मोतीलाल माली, पूर्व में मकान देवलाल गुर्जर कंवर जी का चबूतरा व पश्चिम में आम रास्ता स्थित है। उक्त मकान की लम्बाई पूर्व से पश्चिम 35 फुट, उत्तर से दक्षिण 28 फुट है जिसका सदर दरवाजा पश्चिम दिशा में है। मकान में 4 कमरे बने हुए थे जिनमें मन्दिर का पुजारी रहता था तथा भगवान के भोग प्रसाद की सामग्री बनाता था। मकान कच्चा कवेलूपोश था, कुछ हिस्सा जीर्ण–शीर्ण होकर गिर गया है तथा एक कमरा रहने योग्य है। उक्त सब मन्दिर मूर्ति नरसिंह भगवान की मिल्कियत सम्पत्ति है। दिनांक 05.05.1999 से पूर्व प्रतिवादी गोपालदास मन्दिर की सेवा पूजा करता था परन्तु वह ठीक प्रकार सेवा पूजा नहीं करता था। इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें होने पर तत्कालीन तहसीलदार साहब खानपुर एवं थानेदार जी खानपुर ने ग्रामवासियों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्रतिवादी गोपालदास भी उपस्थित था। उक्त मीटिंग में गोपालदास ने जाहिर किया कि वह काफी वृद्ध हो चुका है, सेवा पूजा करने में असमर्थ है अतः ग्रामवासियान की सहमति से श्री नरसिंह सेवा समिति ग्राम गोल्याखेड़ी का गठन किया गया और उसी समय प्रतिवादी गोपालदास ने मन्दिर एवं मकान भोगमंडी की चाबियां समिति को स्वेच्छा से सौंप दी। उसके बाद से समिति ही मन्दिर की सेवा पूजा हेतु पुजारी नियुक्त करती है और मन्दिर की व्यवस्था सेवा पूजा करती है तथा मन्दिर की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करती है और वादीगण ही मूर्ति की तरफ से काबिज हैं। प्रतिवादी गोपालदास ने वाद की मद नं0 1 में वर्णित मकान को अपनी स्वयं की मिल्कियत बताकर अपने नाम दिनांक 18.03.1990 को ग्राम पंचायत पिपलाज से अवैध रूप से पट्टा बनवा लिया, जिसका पट्टा नम्बर 8 है। उक्त पट्टा निम्न आधारों पर अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है–(अ) पट्टा जारी किया गया स्थान ग्राम पंचायत की सम्पत्ति नहीं था और न ही वह गोपालदास प्रतिवादी की सम्पत्ति था, प्राईवेट नागरिकों की एवं मन्दिर की सम्पत्ति का पट्टा देने का कानूनन पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। (ब) पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायत अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना नहीं की गई, कोई आपत्तियां नहीं मांगी गई न कोई उद्घोषणा जारी की गई। वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और चुपचाप पट्टा जारी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में वादीगण ने ग्राम पंचायत से पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी तो उन्होंने इसके सम्बन्ध में कोई पत्रावली नहीं होना जाहिर किया, इससे स्पष्ट है कि चुपचाप गलत तरीके से

प्रतिवादी ने पंचायत से मिलकर पट्टा अपने नाम बनवा लिया, कोई प्रमाणित प्रतिलिपि वादी को नहीं दी गई। (स) पट्टे में यह लिखा हुआ है कि 501 / – में उक्त मकान की भूमि का विक्रय गोपालदास को किया गया जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर था। (द) उक्त वाद की मद नं0 1 में वर्णित परिसर पर कब्जा हमेशा से मूर्ति नरसिंह भगवान का रहा है, पुजारी मूर्ति नरसिंह भगवान का नौकर होता है और मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। उसकी सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति को मालिकाना अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। (य) इसी मकान का पट्टा बनवाने बाबत् पुनः दिनांक 25.09.2000 को गोपालदास ने ग्राम पंचायत पिपलाज में प्रार्थना पत्र पेश किया था। वादीगण ने उक्त पट्टे के सम्बन्ध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ के न्यायालय में दिनांक 08.10.2001 को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र हस्ब धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 16.01.2009 को हो गया और वह खारिज हो गया। वादी ने अपने दावे में अनुतोष मांगा है कि ग्राम पंचायत पिपलाज द्वारा जारी पट्टा नं0 8 दिनांक 18.03.1990 निरस्त किये जाने की घोषणा की जावे तथा वाद की मद नं0 1 सम्पत्ति मन्दिर मूर्ति नरसिंह जी विराजमान गोल्याखेड़ी ग्राम की है, गोपालदास प्रतिवादी की निजी सम्पत्ति नहीं है, इस बाबत् घोषणा किये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसने अपने जवाब दावे के विशेष कथनों में कथन किया है कि प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास अपने पूर्वजों के समय से मन्दिर श्री नृसिंह जी व श्री जी विराजमान ग्राम गोल्याखेड़ी का पुजारी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान लोक न्याय अधिनियम 1959 के तहत् एक ट्रस्ट देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है जिसका नाम पंजीयन अनुसार ''ट्रस्ट नृसिह जी व श्री जी ग्राम गोलयाखेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़'' है। प्रतिवादी नं0 1 गोपालदास ट्रस्ट में मुख्य प्रन्यासी दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादीगण को मन्दिर के नाम से कोई वाद लाने या मन्दिर के नाम से कोई कार्यवाही करने का विधिक हक नहीं है। विशेष कथन के पैरा नं0 4 में कथन किया है प्रतिवादी नं0 1 के मकान की चतुरसीमा वाद के मद नं0 1 में वर्णित की गई है, के दक्षिण–पश्चिम कमरे पर जगदीश पुत्र भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी सारोला ने अन्य व्यक्तियों की सहायत से प्रतिवादी नं0 1 की अनुपस्थिति में दिनांक 20.06.01 को कब्जा कर लिया था। प्रतिवादी नं0 1 ने इस सम्बन्ध में एक सिविल वाद न्यायालय सिविल जज खानपुर के समक्ष पेश किया जो जैरकार है। इस वाद के वादी नं0 1 व 2 को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 22 / 01 में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने वाद 22 / 01 में अपने मकान का पट्टा पेश किया था जिसकी सत्यापित प्रति लेकर वादीगण ने न्यायालय जिला

कलेक्टर झालावाड़ में निगरानी नं0 133 / 01 पेश की थी जिसमें निर्णय दिनांक 16.01.07 को हो गया है और निगरानी खारिज कर पट्टा सही माना गया है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद नं0 22 / 01 में न्यायालय द्वारा तनकी नं0 4 स्थापित कर पट्टे के फर्जी होने की स्थिति का विचारण भी किया जा चुका है तथा प्रकरण बहस अन्तिम की स्टेज पर है। अब इसी बिन्दु पर न्यायालय द्वारा पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। इसलिये वादीगण का वाद धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार स्थगित किया जाना चाहिए तथा वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी नं0 133 / 01 जिला कलेक्टर झालावाड़ के न्यायालय के निर्णय आने और उसकी कोई अपील / निगरानी या रिट याचिका पेश नहीं होने से निर्णय अंतिम हो गया है। वादीगण ने अपने सम्पूर्ण वाद में जिला कलेक्टर के निर्णय के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं किया है और जिला कलेक्टर के निर्णय को भी अप्रभावी या शून्य करने का अनुतोष नहीं मांगा है। ऐसी स्थिति में यह वाद चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वाद संख्या 22 / 01 की सत्यप्रति संलग्न है जिसे प्रदर्श ए–4 के रूप में प्रतिवादी की ओर से प्रदर्शित करवाया है। उक्त वाद जगदीश पुत्र भंवरलाल, मन्नालाल पुत्र रामचन्द्र, छीतरलाल पुत्र कन्हैयालाल, चन्द्रसेन पुत्र भैरूलाल व प्रेमचन्द पुत्र सीताराम माली के विरूद्ध गोपालदास द्वारा बाबत् आदेशात्मक व्यादेश स्थायी निषेधाज्ञा व स्वत्व घोषणा एवं दिलाये जाने कब्जा कमरा का पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 09.02.2009 को इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। उक्त निर्णय में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में कथन किया है कि वाद वर्णित मकान गोल्याखेड़ी में स्थित सार्वजनिक प्राचीन मंदिर श्री नृसिंह भगवान की ''भोग मण्डी'' (जिसमें पुजारी निवास करता है तथा ठाकुर जी का भोग आदि तैयार करता है) उक्त मकान के अन्दर का पोरशन करीब पांच वर्ष पूर्व ही धराशाही होकर खण्डहर हो चुका है। जारी किया गया पट्टा भी फर्जी बोगस एवं संदिग्ध दस्तावेज है। ग्राम पंचायतों को बने हुए मकानों के इस प्रकार पट्टे जारी करने या किसी भी जायदाद का किसी को भी पट्टा देकर मालिक बना देने का कोई विधान पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। वादग्रस्त मकान में वादी 20 वर्षों में कभी निवास नहीं रहा। वादी का ग्राम गोल्याखेड़ी के खानपुर–सारोला रोड़ पर करीब 20 साल से 10–12 कमरों का पक्का दो मंजिला लम्बा चौड़ा मकान व ऑयल मिल बना हुआ है तथा वहीं पर वह अपने परिवार के साथ रहता आया है। वादग्रस्त मकान में वादी का पिछले वर्षों में कभी निवास नहीं रहा है। कभी मकान की अवेर सवेर नहीं की। उक्त मकान का अधिकांश हिस्सा समय पर अवेर सवेर नहीं होने के कारण

खण्डहर हो गया है। प्रतिवादीगण की वादी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। वास्तविकता यह है कि ग्राम गोल्याखेड़ी में सार्वजनिक मंदिर श्री नृसिंह भगवान के प्राचीन काल से स्थित है जो समस्त ग्रामवासियों की आस्था का केन्द्र है जिसकी सेवा पूजा के लिए ग्रामवासी ही पुजारी नियुक्त करते हैं। पहले वादी को मंदिर की सेवा पूजा के लिए लगाया गया परन्तु उसने मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा करना बन्द कर दिया, मंदिरों में ताले लगा दिये। ग्रामवासियों ने तत्कालीन जिला कलेक्टर, तहसीलदार को शिकायतें की जिनके निर्देशानुसार नायब तहसीलदार व थानेदार की उपस्थिति में दिनांक 05.05.99 को ग्रामवासियों की सभा हुई जिसमें प्रतिवादी को भी बुलवाया गया जिसने कह दिया कि वह काफी वृद्ध व लाचार हो गया है, सेवा पूजा करने में असमर्थ है। विचार विमर्श किया गया तथा आगामी व्यवस्था हेतु ग्रामवासियों की सहमति से श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति गोल्याखेड़ी का गठन किया गया। सेवा समिति द्वारा जगदीश प्रसाद को पुजारी नियुक्त किय गया। श्री नृसिंह जी भगवान सेवा समिति ही दोनों मंदिर मूर्ति मंदिर की आराजीयात एवं भोगमण्डी की व्यवस्था एवं देख–रेख करती है एवं पुजारी गोपालदास ने मंदिर व उसकी आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व व दीवानी वाद नृसिंह भगवान सेवा समिति गोल्याखेड़ी के पदाधिकारीगण व ग्रामवासियान के विरूद्ध एस.डी.एम. अकलेरा, राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा, राजस्व मण्डल अजमेर, सिविल न्यायालय में पेश किये जो सभी खारिज हो गए। गोपालदास ने दिनांक 23.11.2000 को इन मंदिरों का सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड कोटा से स्वयं को मुख्य प्रन्यासी व अपने पुत्रों व पोत्र को प्रन्यासी के रूप में पंजीकृत करा लिया जिसके सम्बन्ध में रिट माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार है। इसलिए गोपालदास द्वारा मंदिरों की सेवा पूजा से हटा दिये जाने से एवं गांव के सार्वजनिक मंदिरों को व्यक्तिगत जायदाद बना लेने के मंसूबों का पर्दाफाश हो जाने के कारण वादी ग्रामवासियों व प्रतिवादीगण से नाराज है। <u>प्रतिवादीगण बहैसियत श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति के सदस्यगण के रूप में वादग्रस्त मकान पर कब्जा आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने के समय से ही प्राप्त कर चुके हैं।</u> दिनांक 05.05.99 से मंदिर एवं मूर्ति मंदिर की आराजी एवं भोगमण्डी की प्रबन्ध व्यवस्था समिति के सदस्यों के अधीन है। प्रतिवादीगण बहैसियत प्रतिनिधिगण ग्रामवासियान एवं श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति वादग्रस्त मकान पर सम्पूर्ण रूप से काबिज है। वादी का मकान पर कोई कब्जा नहीं है। वादी द्वारा वादग्रस्त मकान का सही मूल्यांकन नहीं किया जाकर वाद उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतिरिक्त कथन में प्रतिवादीगण ने यह तथ्य अंकित करवाये हैं कि वादी को वादग्रस्त मकान के सम्बन्ध में कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त मकान भोगमण्डी है। सभी ग्रामवासियों के हित सम्बद्ध होने से उक्त वाद मकान ग्रामवासियों की सामुदायिक

सम्पत्ति है तथा ग्रामवासियों की ओर से नियुक्त समिति ही भोगमण्डी व आराजी की देख–रेख कर रही है। वादग्रस्त मकान का प्रभूलाल एवं कंवरलाल की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी 20 साल से अपने निजी मकान में निवास करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत पिपलाज द्वारा जारी किया गया पट्टा पूर्ण रूप से फर्जी व बोगस है। सरपंच की मोहर पर चन्द्रसेन के हस्ताक्षर हैं जबकि उनके कार्यकाल में रामेश्वर नागर ग्राम पंचायत पिपलाज कभी पदेन सचिव एवं ग्रामसेवक नहीं रहे। ग्राम पंचायत पिपलाज को श्री नृसिंह भगवान की भोगमण्डी का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा बने हुए मकान का पट्टा बिना किसी अधिकार के जारी किये जाने से उक्त दस्तावेज शून्य है। पट्टे को निरस्त करवाने के लिए जिला कलेक्टर के यहां अपील प्रस्तत की है जो जैरकार है। इसके बावजूद भी वादी ने वादग्रस्त मकान का पुनः पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 25. 09.2000 को ग्राम पंचायत पिपलाज में आवेदन पेश कर दिया। उक्त तथ्यों के साथ प्रतिवादीगण ने उक्त वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं उक्त वाद में तनकी संख्या 4 इस प्रकार बनाई गई थी कि ''आया वादग्रस्त सम्पत्ति ग्रामवासियान की सामुदायिक सम्पत्ति है, वादी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं?'' उक्त तनकी नं0 4 को साबित करने में प्रतिवादीगण विफल रहे थे एवं उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई थी। चूंकि वाद संख्या 22/01 में वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को उठाया था कि ग्राम पंचायत पिपलाज द्वारा जारी किया गया पट्टा पूर्ण रूप से फर्जी एवं बोगस है एवं उनके द्वारा किए गए अभिवचन पर तनकी संश्ख्या 4 विरचित की जाकर उसका निस्तारण किया गया था। उक्त वादपत्र में प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में यह कथन किया था कि प्रतिवादीगण बहैसियत श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति के सदस्यगण के रूप में वादग्रस्त मकान पर कब्जा आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने के समय से ही प्राप्त कर चुके हैं और उक्त वादी द्वारा न्यायालय में यह वाद सं0 27/07 प्रतिवादीगण ने बहैसियत नृसिंह भगवान सेवा समिति ग्राम गोल्याखेडी जरिये पदाधिकारीगण पेश किया है। **धारा 11 सी.पी.सी. 1908 इस प्रकार है कि–** ''कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकद्मा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चत किया जा चुका है।'' धारा 11 सी.पी.सी. के स्पष्टीकरण 4 में स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी विषय

के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जायेगा कि यह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है। चूंकि पूर्ववर्ती वाद सं0 22 / 01 में प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में यह कथन किया था कि वादी गोपालदास के पक्ष में जारी किया गया पट्टा फर्जी एवं बोगस है एवं ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था एवं उक्त वाद में प्रतिवादीगण ने स्वयं को श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति गोल्याखेड़ी का सदस्यगण बताया था एवं उक्त वाद में प्रतिवादीगण ने उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने बाबत् कोई काउण्टर क्लेम पेश नहीं किया परन्तु पट्टे को फर्जी एवं बोगस बताया था एवं ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने बाबत् कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने बाबत् कथन किया था। जबकि धारा 11 सी.पी.सी. के स्पष्टीकरण 4 के तहत् प्रतिवादी के पास उक्त वाद संख्या 22 / 01 में उक्त पट्टे को निरस्त करवाने बाबत् काउण्टर क्लेम पेश किए जाने का अवसर प्राप्त था एवं उक्त पट्टा सही है या गलत है इस बाबत् तनकी संख्या 4 उक्त वाद में विरचित की गई थी एवं उक्त तनकी को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाकर अन्तिम रूप से उक्त तनकी का निस्तारण किया गया था एवं उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित मानी गई थी। वादीगण ने इस वाद में स्वयं को श्री नृसिंह भगवान ग्राम गोल्याखेड़ी का पदाधिकारी होते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है और इसमें ग्राम पंचायत पिपलाज द्वारा जारी किए पट्टे को निरस्त करने बाबत् अनुतोष चाहा है जबकि उक्त पट्टे बाबत् वाद संख्या 22 / 01 में इस तथ्य को अन्तिम रूप से विवाद्यक विरचित कर निर्णीत किया जा चुका है एवं उक्त वाद में वादीगण के पास पर्याप्त अवसर था कि वे पट्टे को निरस्त करने बाबत् अनुतोष पूर्ववर्ती वाद सं0 22 / 01 में मांगते एवं अपने स्वयं के अभिवचनों में इस पट्टे को फर्जी एवं बोगस बताते। चूंकि उक्त पट्टे की वैधता बाबत् पूर्ववर्ती वाद में तनकी संख्या 4 विरचित कर उसका निस्तारण किया जा चुका है, उसी बिन्दु को आधार बनाकर पुनः समिति की ओर से जरिये पदाधिकारीगण यह वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त विवाद्यक पूर्व के वाद में अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। वादी को पुनः उसी बिन्दु पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का वाद धारा 11 सी.पी.सी. पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित है। धारा 11 सी.पी.सी. का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक वाद में एक सक्षम न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर दिए गए निर्णय को पुनः दूसरे वाद में उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में चुनौती देने की छूट का अर्थ होगा, वादों का अन्तहीन होना। अतः इस धारा के माध्यम से वाद में पारित निर्णय की निश्चयात्मकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। धारा 11 सी.पी.सी. का सिद्धांत निम्न तीन रोमन सूत्रों पर आधारित है–

(1) *Interest republicae ut sit finis litium*- that is, it is in the interest of state that there should be an end tom litigation अर्थात् यह राज्य के हित में है कि मुकद्मेबाजी का अन्त हो, और

(2) *Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa*- that is, no person should be vexed twice over the same cause अर्थात् किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतुक के लिए दोबारा नहीं तंग किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में दोहरे वाद से सुरक्षा।

(3) *Res Judicata pro veritate occipitur*- that is, a judicial dicision must be accepted as correct अर्थात् एक न्यायिक विनिश्चय (निर्णय) को सही माना जाना चाहिये।

चूंकि पूर्ववर्ती वाद में वादीगण द्वारा स्वयं को समिति के सदस्य बताते हुए अपना बचाव पेश किया था और यह वाद भी न्यायालय के समक्ष श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति जरिये पदाधिकारीगण की ओर से पेश किया गया और उसी सम्पत्ति पर जारी किए गए पट्टे बाबत् पेश किया गया जो कि पूर्ववर्ती वाद में विवादित था एवं पूर्ववर्ती वाद में पट्टे की वैधता बाबत् उक्त वाद के प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी और उक्त आपत्ति का अन्तिम रूप से निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया था। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील लम्बित है। न्यायालय के विनम्र मत में मात्र अपील लम्बित होने से वादी को उसी तथ्य के आधार पर पुनः वाद लाने का अधिकार नहीं हो जाता। पत्रावली में मूर्ति श्री नृसिंह भगवान विराजमान ग्राम गोल्याखेड़ी व श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति गोल्याखेड़ी की ओर से जिला कलेक्टर झालावाड़ के न्यायालय में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या 133/01 पेश किया था जो कि प्रदर्श ए–2 है जिसमें भी दिनांक 18.03.1990 के फैसले जिसके आधार पर पट्टा नं0 8 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत् पेश किया गया था जिसके आधार पर न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा मिसल नं0 133/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र/01 पर दिनांक 16.01.2007 को निर्णय पारित किया गया था जिसमें प्रार्थीगण मूर्ति श्री नृसिंह भगवान विराजमान ग्राम गोल्याखेड़ी एवं श्री नृसिंह भगवान सेवा समिति गोल्याखेड़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.07 को खारिज किया जा चुका है एवं पुनः उसी विवादग्रस्त पट्टे बाबत् वादीगण द्वारा न्यायालय में यह वादपत्र पेश किया गया है जबकि उसी विवादित भूमि पर जरी किए गए पट्टे के सम्बन्ध में पूर्व में निर्णय सिविल न्यायालय खानपुर एवं जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा पारित

किये जा चुके हैं। धारा 11 सी.पी.सी. का मुख्य उद्देश्य न्यायालय के निर्णय को अन्तिमता प्रदान करना है। यदि एक ही विवाद बिन्दु पर पुनः वाद लाने की अनुमति दी गई तो वादों का एक अन्तहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा एवं एक पक्षकार अनावश्यक रूप से दूसरे पक्षकार को मुकद्मेबाजी द्वारा तंग करता रहेगा। अतः तनकी संख्या 11 को साबित करने में प्रतिवादीगण सफल रहे हैं। चूंकि तनकी संख्या 11 प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में साबित मानी गई है एवं वादीगण का वाद धारा 11 सी.पी.सी. के तहत् वर्जित होने से अन्य तनकीयात का विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2000 DNJ (SC) 218 Sajjadanashin Sayed Md. B.E.Edr. (D) by Lrs V/S Musa Dadabhai Ummer & Ors पेश जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि–

(A) Civil Procedure Code, 1908- Sec. 11- Resjudicata- Words "collateral" "incidentally" in issue- Issue ancillary to a direct and subtance are collaterally or incidentally in issue- Meterial test to be depends on facts of each case.

(C) Civil Procedure Code, 1908- Sec. 11- Bombay Public Trust act 1950 2(19)-Resjudicata- Principle of- Applicability- First decision Second decision contrary to first one- In third decision the second operate as res judicata and not the first one- A superseded can not operate as res judicata.

चूंकि पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत् विवाद में यह विवाद्यक विरचित किया गया था कि "आया वादग्रस्त सम्पत्ति ग्रामवासियान की सामुदायिक सम्पत्ति है, वादी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं।" पूर्ववर्ती वाद में वादी द्वारा इस वाद में चाहा गया अनुतोष बाबत् विवाद्यक विरचित कर उसका निस्तारण किया जा चुका है जो पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारभूत रूप से विवादित बिन्दु था। चूंकि वादी का वाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया गया था एवं उक्त निर्णय Supersede किया गया हो ऐसा पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है। अतः तथ्य की भिन्नता के कारण न्यायालय के विनम्र मत में उक्त न्यायिक दृष्टांत मामले पर लागू नहीं होता है।

प्रतिवादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2014(3) आर.एल.डब्ल्यु. 2459 (राज0), गणेशदास व अन्य बनाम शान्ति देवी व अन्य पेश किया गया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

पूर्ववर्ती वाद में विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विद्यकों पर निष्कर्ष दर्ज करके विवादित सम्पत्ति में अपीलार्थीगण के अधिकारों को उनके विरूद्ध अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जिसने अन्तिमता अर्जित की– अभिनिर्धारित– उसी विषय को उन्हीं पक्षकारों के मध्य दायर पश्चात्वर्ती वाद में नये सिरे से विनिश्चित करने हेतु नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह पूर्व न्याय के सिद्धांत से वर्जित है। न्यायिक दृष्टांत 2010(4) आर.एल.डब्ल्यु. 3466 (सुप्रीम कोर्ट), मोहम्मद नोमान व अन्य बनाम मोहम्मद जाबेद आलम व अन्य में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि – क्या बेदखली हेतु वाद में दर्ज स्वत्व का प्रश्न पक्षकारों के मध्य स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु पश्चात्वर्ती वाद बाध्यकारी होगा?–किराये के वाद में स्वत्व का प्रश्न विनिश्चित किया जाना चाहिये था, स्पष्ट रूप से उठाया गया और स्पष्ट रूप से ही पक्षकारों के मध्य विनिश्चित किया गया– बेदखली हेतु पूर्ववर्ती वाद में पक्षकारों के मध्य स्वत्व का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से एवं सारभूत रूप से विवाद्यक में था– अभिनिर्धारित– बेदखली हेतु पूर्ववर्ती वाद में वादी के पक्ष में दर्ज निष्कर्ष पक्षकारों के मध्य स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा हासिल करने हेतु पश्चात्वर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित होगा। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत मामले पर पूर्णतः लागू होते हैं। मामले में उठाया गया बिन्दु पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष रूप से एवं सारभूत रूप से विवाद्यक में था जिसको पूर्ववर्ती वाद में निर्णीत किया जा चुका है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत न्यायालय के विनम्र मत में मामले पर पूर्णतः लागू होते हैं।

न्यायिक दृष्टांत 2017 एस.ए.आर. (सिविल) 564, सुप्रीम कोर्ट पावर मशीन्स इण्डिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व अन्य में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

Alternate remedy- providing of plural remedies is valid when two or more remedies are available to a person even if inconsistent, they are valid-It is for the person to elect one of them and there is no question of repugnancy in providing such remedy. उक्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त वाद में वादीगण के पास दोनों उपचार उपलब्ध थे। उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे के विरूद्ध जिला कलक्टर झालावाड़ के न्यायालय में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका निस्तारण न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 16.01.2007 को दोनों पक्षों को सुनकर अन्तिम रूप से निर्णीत किया गया है। वादी ने पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र खारिज होने पर उक्त न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत न्यायालय के विनम्र मत में मामले पर पूर्णतः लागू होता है।

**<u>अनुतोष?</u>**

चूंकि तनकी संख्या 11 प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में साबित मानी गई है एवं वादीगण का वाद धारा 11 सी.पी.सी. पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित है, अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## <u>आदेश</u>

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् निरस्त किये जाने पट्टा ग्राम पंचायत पिपलाज दिनांक 18.03.1990 बहक गोपाल दास बैरागी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

(राजेश कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, खानपुर,
जिला झालावाड़ (राज0)

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, खानपुर,
जिला झालावाड़ (राज0)

**<u>प्रमाण पत्र</u>**

आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
आशुलिपिक

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।